

an>

Title: Need to impose total ban on slaughter of cow in the country and take effective steps for conservation and development of cow and cow-breeds.

डॉ. किरिटी पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज पूरे देश भर से गौवंश हत्या बंदी और गोवंश संवर्धन के लिए आवाज उठ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से गौवंश पर आधारित थी, परंतु समय के साथ-साथ रसायनों और कृषि यंत्रों ने इसका स्थान ले लिया, जिससे हमारा समाज और गौवंश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रसायनों के उपयोग से भोज्य पदार्थ जहरीले हो गए और अधिक वाहनों के कारण हमारा वातावरण दूषित हो गया है। गौवंश की उपयोगिता के रूप में दुग्ध और दुग्ध पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अमृत हैं। गौमाता केवल पौष्टिक आधार पर ही पूजनीय नहीं है, अपितु इसकी उपयोगिता परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी अद्वितीय है। गौवंश, वास्तव में चलती-फिरती रसायन शाला है जो घास-फूस और हरियाली ग्रहण करके उसके बदले में गोबर, गोमूत्र प्रदान करती है, जो फसलों के लिए भगवान का वरदान है। साथ ही बैलों की उपयोगिता से कृषि में मंहने डीजल, पेट्रोल की लागत को शून्य किया जा सकता है तथा वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। रसायनिक खेती में पानी अधिक मात्रा में खर्च होता है, लागत अधिक आती है और पानी के स्रोत में भी गिरावट आती है जबकि गोबर की खाद से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है तथा कृषि लागत कम होती है और किसान की आय में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ गौ के अपशिष्ट पदार्थों से कीटनाशक खाद, दवाइयों आदि निर्मित करने से मानव जाति को फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ हजारों हाथों को रोजगार भी मिलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मात्र गोमूत्र से ही 100 से ज्यादा रोगों का इलाज संभव है। इसलिए इसे पांच से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए गौ संवर्धन और गौ-संरक्षण के लिए ठोस और कारगर नियम बनाए जाएं। गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, गौमाता को राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए इनकी सुरक्षा की जाए एवं गौशालाओं का निर्माण करके इनके वंश में वृद्धि करने के लिए सार्थक नियम बनाए जाएं।

15.00 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193